विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक-5012 का परिशिष्ट [23/3/2018] "अ"

~~प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट~~
~~परिशिष्ट पचानवे~~

प्रश्न सं. [क. 5012]

5/7

कार्यालय वनमंडल अधिकारी, दक्षिण सागर वनमंडल

क्रमांक/राजस्व/11/ 1375

सागर, दिनांक 15.04.2011

प्रति,

1– समस्त उपवनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय),
दक्षिण सागर वनमंडल ।

2– समस्त वन परिक्षेत्र अधिकारी,
दक्षिण सागर वनमंडल ।

विषय :– विनिर्दिष्ट वनोपज़ के विनिर्माताओं, व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं आदि को नियंत्रित करने के संबंध में निर्देश ।

संदर्भ :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ–5/10–10/844 दिनांक 15–03–2011

विनिर्दिष्ट वनोपज के विनिर्माताओं, व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं आदि को नियंत्रित करने के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. भोपाल के संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त निम्नानुसार निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे :–

1– म.प्र. वनोपज (व्यापार विनियमन) काष्ठ नियम, 1973 के नियम–7 के अनुसार इमारती लकड़ी के विनिर्माताओं, व्यापारियों, उपभोक्ताओं के रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है । उक्त अधिनियम के अंतर्गत आपके क्षेत्राधिकार में बगैर रजिस्ट्रेशन के संबंधित व्यक्तियों/फर्म/संस्थाओं के पाये जाने पर उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जावे ।

2– म.प्र. वनोपज (व्यापार विनियमन) काष्ठ नियम, 1973 के नियम–7 (4) में विनिर्दिष्ट वनोपज के रजिस्ट्रीकृत विनिर्माता, व्यापारी तथा उपभोक्ता को लेखाओं का रजिस्टर रखना एवं लेखाओं की विवरणी संबंधित वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) को प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है । रजिस्ट्रीकृत विनिर्माता, व्यापारी तथा उपभोक्ता के लेखाओं का रजिस्टर समय–समय पर मौके पर जाकर चैक करें एवं तद्नुसार स्टॉक का भी सत्यापन करते रहें तथा इस कार्यालय को वस्तुस्थिति से अवगत करावें । यह भी सुनिश्चित करें कि ... त्रैमास की लेखाओं की विवरणी रजिस्ट्रीकृत विनिर्माता, व्यापारी तथा उपभोक्ता द्वारा वनमंडल कार्यालय में प्रस्तुत की जावे । यदि त्रैमास की लेखाओं की विवरणी समय पर रजिस्ट्रीकृत विनिर्माता, व्यापारी तथा उपभोक्ता द्वारा वनमंडल कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित करें ।

3– म.प्र. वनोपज (व्यापार विनियमन) (काष्ठ नियम, 1973) के नियम 4 (4) (च) में किये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने हेतु आप अपने क्षेत्राधिकार के विनिर्दिष्ट वनोपज के विनिर्माताओं, व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं को लिखित निर्देश जारी करें । संबंधित विनिर्माता, व्यापारी एवं उपभोक्ता नियमानुसार परिवहन अनुज्ञा पत्रों को परिक्षेत्र कार्यालय में जमा करवायें तथा इसकी त्रैमासिक रिपोर्ट वनमंडल कार्यालय को प्रेषित करेंगे । इस रिपोर्ट के अन्य तथ्यों के अलावा यह भी उल्लेख होगा कि कितने विनिर्माताओं, व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं द्वारा नियमानुसार विनिर्दिष्ट वनोपज क्रय कर परिवहन की गई । वनमंडलाधिकारी यह

सुनिश्चित करेंगे कि पिछले कैलेण्डर वर्ष में यदि विनिर्दिष्ट के विनिर्माताओं, व्यापारियों, उपभोक्ताओं आदि द्वारा यदि ऐसे परिवहन अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं तथा उनके द्वारा विनिर्दिष्ट वनोपज का उपयोग किया गया है, तो ऐसे विनिर्माताओं, व्यापारियों तथा उपभोक्ता के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण नहीं किया जावेगा । म.प्र. वनोपज (व्यापार विनियमन) काष्ठ नियम, 1973 के नियम 4 के अनुपालन के साथ ही परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी करने के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे, काष्ठ परिवहन हेतु जारी किये गये परिवहन अनुज्ञा पत्रों का लेखा–जोखा निम्न प्रारूप में परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी करने वाले अधिकारी को संधारित करने हेतु निर्देशित किया जाता है :–

वर्ष –	विक्रयकर्ता/व्यापारी/फर्म का नाम – फाईल नं. – पंजीयन क्रमांक/दिनांक –							
अ.क्र.	पूर्व की अवशेष मात्रा टी.पी. की (घ.मी.)	फर्म द्वारा वनोपज प्राप्त करने का विवरण						
		डिपो का नाम	टी.पी. नं. एवं दिनांक	प्रजाति	नग	मात्रा घ. मी.	चिरान पश्चात प्राप्त मात्रा (घ.मी.)	कुल मात्रा (2+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

वनोपज का निवर्तन का विवरण									
टी.पी. क्रमांक	दिनांक	अवधि (दिनांक से दिनांक तक)	प्रजाति	नग	घ.मी. /वजन	टी.पी. कहां के लिये जारी की गई, नाम/पता	वाहन क्रमांक	टी.पी. प्रदाय उपरांत शेष वनोपज की मात्रा	विशेष विवरण टी.पी. प्रभारी के हस्ताक्षर
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

4– म.प्र. वनोपज (व्यापार विनियम) काष्ठ नियम, 1973 के नियम 9 (11) विनिर्दिष्ट वनोपज के फुटकर विक्रय के लिए पंजीकृत विक्रेता द्वारा यदि फुटकर विक्री की जाती है, तो उसे इस नियम के प्रारूप फार्म 'अ' में उपभोक्ता विक्रय प्रमाण पत्र जारी करना आवश्यक होगा । अतः यदि आपके क्षेत्रान्तर्गत ऐसे फुटकर विक्रेता हैं, जिन्होंने उपभोक्ता प्रमाण–पत्र इस कार्यालय से प्राप्त नहीं किया है, तो उन्हें सचेत करें कि वे प्रारूप फार्म 'अ' में उपभोक्ता विक्रय प्रमाण पत्र प्राप्त करें ।

5– विनिर्दिष्ट वनोपज के विनिर्माताओं, व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं के पंजीयन में घ.मी. की सीमा निश्चित रूप से अंकित की जावे । पंजीयन के समय उनसे सैल्स टैक्स/व्यवसायिक कर नंबर प्राप्त करें तथा यह सुनिश्चित करें कि वे अपने बिल पर सैल्स टैक्स/व्यवसायिक कर नंबर/वन विभाग का पंजीयन अंकित करें । विनिर्दिष्ट वनोपज के विनिर्माताओं, व्यापारियों, उपभोक्ता आदि के पंजीयन के समय यदि वह आयकर की सीमा में आता है, तो पेन नंबर प्राप्त करें । कृपया अपने निरीक्षण के समय विनिर्माताओं, व्यापारियों, उपभोक्ता के बिलों की चैकिंग कर इस बात की पुष्टि करें कि उनके द्वारा सैल्स टैक्स/व्यवसायिक कर नंबर दर्शाया गया है ।

7/7

6- उपभोक्ता को दिये बिल में विक्रय की गई सामग्री में उस सामग्री के निर्माण में उपयोग में ली गई वनोपज कितने घ.मी./घ.फु. है, का भी उल्लेख किया जावे । त्रैमासिक रिटर्न में उसके द्वारा क्रय की गई वनोपज एवं बाद में बिल द्वारा विक्रित वनोपज का मिलान किया जावे तथा आकस्मिक निरीक्षण किया जावे । कृपया अपने निरीक्षण के दौरान बिलों एवं त्रैमासिक रिटर्न की चैकिंग कर इस बात की पुष्टि की जावे ।

7- आम व्यक्ति द्वारा फर्नीचर बनाने हेतु फर्नीचर मार्ट को दी गई लकड़ी के वैध होने पर ही फर्नीचर बनाने की कार्यवाही की जावेगी । संबंधित फर्नीचर मार्ट ऐसी काष्ठ का बिल, टी.पी. शासनादेश की छाया-प्रति साक्ष्य रूप में अभिलेख में रखेगा, वरना उक्त लकड़ी की जप्ती के साथ-साथ फर्नीचर मार्ट पर भी कार्यवाही की जावे । कृपया इस संबंध में अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले समस्त फर्नीचर मार्टों को लिखित रूप में टीप कराया जावे ।

8- शहरी क्षेत्र में अनेक फर्नीचर मार्ट होते हैं । शहर के भौगोलिक क्षेत्र, फर्नीचर मार्ट की संख्या, नगर निगम/नगर पालिका के वार्डों के आधार पर बीटों के रूप में शहरी क्षेत्र को विभाजित किया जाकर, प्रत्येक क्षेत्र में एक परिक्षेत्र सहायक, दल प्रभारी व एक वनरक्षक की पदस्थिति कर, उनके लिए विनिर्दिष्ट वनोपज के विनिर्माताओं, व्यापारियों, उपभोक्ता आदि की जांच हेतु रोस्टर निर्धारित किया जावे । उक्त निर्देश के परिपालन में तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर, इस कार्यालय को अवगत करावें ।

9- सभी विनिर्दिष्ट वनोपज के विनिर्माताओं, व्यापारियों, उपभोक्ताओं आदि की सूची बनाई जाकर उसकी जानकारी सभी वन चौकी, बैरियर, समीपवर्ती वनमंडलों को दी जावे । कृपया आप अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले विनिर्दिष्ट वनोपज के विनिर्माताओं, व्यापारियों, उपभोक्ताओं आदि की सूची तैयार कर, अविलंब इस कार्यालय में भेजें, साथ ही समस्त वन चौकी, बैरियर पर भी उपलब्ध करावें ।

10- ऐसे फर्नीचर निर्माता जो विनिर्दिष्ट वनोपज का प्रयोग नहीं करते हैं, उन्हें अपनी रसीदों पर यह स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए कि इस फर्नीचर में किसी विनिर्दिष्ट वनोपज का प्रयोग नहीं किया गया है तथा वह वन विभाग के अंतर्गत पंजीयन की आवश्यकता से मुक्त है, अंकित किया जावेगा । कृपया अपने निरीक्षण के दौरान चैकिंग में इसकी पुष्टि की जावे ।

कृपया निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे ।

वनमंडल अधिकारी
दक्षिण सागर वनमंडल

पृ.क्रमांक/राजस्व/11/1376 सागर, दिनांक 15.04.2011

प्रतिलिपि :-

1- संभागाधिकारी, वनमंडल कार्यालय, दक्षिण सागर की ओर सूचनार्थ ।

2- मुख्य लिपिक, वनमंडल कार्यालय, दक्षिण सागर की ओर सूचनार्थ ।

वनमंडल अधिकारी
दक्षिण सागर वनमंडल

21/04/11

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग (कक्ष 3)
मंत्रालय, भोपाल